

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, धनवा)


प्रकरण सं:- 117/2018

दिनांक:-18.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1604

आदेश


वादी के वादपत्र एवं पटवारी धनवा व भूअ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम खार महेचान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 212 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि हिमताराम पुत्र आदूराम के स्थान पर हिमताराम पुत्र आईदानराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। शेष बद्दस्तर रहेंगा।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 18.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1605-07

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हिमताराम पुत्र आईदानराम निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी